लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4977
उत्तर देने की तारीखः 23.07.2019

स्वच्छता उद्यमी योजना

4977. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छता उद्यमी योजना की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाएं/क्रियाकलाप क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत से आबंटित/जारी की गई धनराशि क्या राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना की शुरुआत से देश में सफाई कर्मचारियों/हाथ से मैला उठाने वालों के लिए सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है;
(च) क्या प्राप्त की गई सफलताएं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और
(छ) सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करने तथा उन्हें हाथ से मैला उठाने से मुक्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत अभियान के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की स्वच्छता उद्यमी योजना की प्रमुख विशेषताएं **अनुबंध-क** में दी गई हैं।

(ख) और (ग) यह योजना एनएसकेएफडीसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ड.) और (च) यह योजना मांग आधारित योजना है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(छ) "स्वच्छ भारत अभियान" सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता है। तथापि, यह मंत्रालय एनएसकेएफडीसी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक निगम है, के माध्यम से चलाए जा रहे इसके कार्यक्रमों के जरिए सफाई कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करने और मैनुअल स्केवेंजरों की मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूहों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वे क्षेत्रीय कौशल परिषदों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देशभर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं।

एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों की श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों के मामले में गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1500/- रुपये और आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 500/- रुपये का वजीफा भी प्रदान करता है।

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत, अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों को निम्नलिखित अनुलाभ प्रदान किए जाते हैं:

(i) अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों को 40,000 रुपए की एकबारगी नकद सहायता।
(ii) मैनुअल स्केवेंजरों/परिवार के आश्रित सदस्यों को 3,000 रुपए प्रति माह के वजीफे सहित कौशल विकास प्रशिक्षण।
(iii) वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए 3,25,000 रुपए तक पूंजीगत सब्सिडी के साथ रियायती ब्याज दर पर 15 लाख रुपये तक का ऋण।

अनुबंध-क

"स्वच्छता उद्यमी योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4977 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैः-

		"स्वच्छता उद्यमी योजना"	
क्र.सं.	विषय	स्वच्छता से संबंधित उपकरणों/वाहनों की खरीद और संचालन	भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव
1.	उद्देश्य	1) कम उपयोग की गई क्षमता के दोहन हेतु उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण। 2) कचरे के स्रोत से कचरे के संग्रह की सुविधा बनाना। 3) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन	1) परिवारों को सामुदायिक शौचालयों की आसान पहुंच (जिनके पास अपने घरों में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है) और उच्च जनसंख्या के सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में। 2)सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें उद्यमियों द्वारा बनाया गया हो एवं इस उद्यम में जिनकी हिस्सेदारी हो। 3)जिससे मैला ढोने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
2.	पात्रता	मैनुअल स्केंवेंजर/सफाई कर्मचारी	प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीएज) के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह।
3.	ऋण की मात्रा	रू. 15,00,000/- तक (व्यक्तिगत/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह) रू. 40,00,000/- तक (स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता	10 सीटों वाले शौचालय की एक इकाई की प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह को अधिकतम राशि रू.25 लाख (राशि रू.25 लाख रुपए केवल)।

		कर्मियों के लिए सहकारी समूह)	
4.	ब्याज दर	1) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं। 2) महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट। 3) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।	1) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं। 2)महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट। 3) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
5.	भुगतान अवधि	10 वर्ष तक	10 वर्ष तक
6.	स्थगन अवधि	3 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।	6 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।
7.	सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि लाभार्थी मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।	अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि लाभार्थी मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।

*जोखिमभरी सफाई को रोकने हेतु व यंत्रीकृत सफाई को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में स्वच्छता उद्यमी योजना में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम/नगर पालिकाओं को भी यंत्रीकृत सफाई उपकरण/वाहनों हेतु निम्न विवरण अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

स्वीकृति सीमा	**लाभार्थी प्रोफाइल**	**एनएसकेएफडीसी द्वारा नगर निगम से ली जाने वाली ब्याज की दर**	**एनएसकेएफडीसी हिस्सा**	**प्रमोटर योगदान/मार्जिन मनी/अनुदान**	**पुर्नभुगतान की अवधि**
रू. 50.00 लाख तक	नगर निगम	4 प्रतिशत	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	अधिकतम 10 वर्ष तक

अनुबंध-ख

"स्वच्छता उद्यमी योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4977 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रं सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र पदेश	220
2.	जम्मू और कश्मीर	100
3.	नागालैंड	3
4.	उड़ीसा	7
5.	पश्चिम बंगाल	35
6.	केरला ग्रामीण बैंक (केजीबी)	10
7.	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (एनजेजेबी)	7
	कुल	**382**